न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 194/2021

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
मिश्रीलाल पुत्र श्री शिवदान जाति सीरवी निवासी बेरा टेवकी पतालियावास रोड़ बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा		1. बीजाराम पुत्र श्री घीसाराम जाति सीरवी निवासी बेरा पंवारों की ढीमड़ी हर्ष रोड़ बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा 2. लाबूराम पुत्र श्री घीसाराम जाति सीरवी निवासी बेरा केरिया बीजासनी रोड़ बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. 3. पन्नाराम पुत्र श्री घीसाराम जाति सीरवी निवासी बेरा पंवारों की ढीमड़ी हर्ष रोड़ बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी)बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी, एड्वोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :– 6/9/2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 3 तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 4316/152 रकबा 1.1973 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आयी हुयी है, जिसके खाता संख्या 673 है। उपरोक्त खसरा की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सयुक्त खातेदारीसुदा, सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है, जिसमें वादी का 1/10 वॉ हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 37/120 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 37/120 वॉ हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 34/120 वॉ हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा खातेदार दिनेश राठौड़ का 1/40 वॉ हिस्सा, खातेदार मुकेश का 1/40 वॉ हिस्सा व खातेदार दरिया का 1/40 वॉ हिस्सा कुल 3/40 वॉ हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 17.09.2021 को उपरोक्त तीनों खातेदारान से खरीद लिया है तथा उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 8726 प्रक्रियाधीन है। इस कारण उपरोक्त तीनों खातेदारान का नाम जमाबन्दी से अभी तक नही हटा है तथा उपरोक्त तीनों

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खातेदारान द्वारा अपने हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 17.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 2 को बैचान करने से अब उपरोक्त खसरे की भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा व न ही उपरोक्त तीनों खातेदारान उपरोक्त खसरे की भूमि के उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा के बाद कानूनन सहखातेदार रहे। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हक व हिस्से यानि खाता संख्या 673 की चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में वर्णितानुसार हिस्से की भूमि पर मौके पर सयुक्त रूप से काबिज है व सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य आज दिन तक लिखित व विधिवत बंटवाड़ा नही हुआ है व न ही राजस्व नक्शे में मुताबिक वादपत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हिस्से के अनुसार तरमीम हुई है तथा वादग्रस्त भूमि वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हक व हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम से सयुक्त रूप से खातेदारी के रूप में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित अपने हिस्से के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि पर सयुक्त रूप से काबिज व सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में वादपत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक व हिस्से के संबंध में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को विधिवत बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में मुताबिक विधिवत बंटवाड़ा के अनुसार तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने आज दिन तक न तो वादी के निवेदन को स्वीकार किया व न ही वादी के निवेदन से सहमत हुए व न ही आज दिन तक वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत बंटवाड़ा किया। बिना बंटवाड़ा के वादी न तो अपने हिस्से की भूमि पर कोई सुधार कर सकता है और न ही उसे उपजाऊ बना सकता है, व न ही सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वादी को अपने हक व हिस्से की वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने के लिए वाद बाबत् बंटवाड़ा पेश किया। दिनांक 20.12. 2021 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना बंटवाड़ा किये ही मौके पर अजनबी खरीददारों को उक्त वादग्रस्त भूमि बैचान करने हेतु मौका दिखाने हेतु आये। तब वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कहा कि आप वादग्रस्त जमीन का मौका क्यो दिखा रहे हो तब उन्होने वादी को कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अपने हिस्से की जमीन को बैचान करेंगे। तब वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कहा कि आप बिना बंटवाड़ा किये तथा बिना वादी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

की सहमति के आपके हिस्से की भूमि का बैचान अजनबी क्रेता को नही कर सकते हो। तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादी की बात को न मानकर वादी को एलानिया कहा कि ''हम तो हमारे हिस्से की भूमि को पड़ौस दर्शाते हुए बिना बंटवाड़ा के व तुम्हारी सहमति के बिना अजनबी क्रेता को बैचान करके रहेंगे। यदि तुमने कानूनी कार्यवाही के जरिये रोकने की कोशिश की तो हम तुम्हे भी तुम्हारे हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे तथा तुम्हे तुम्हारे हिस्से से वंचित कर देंगे।'' इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उनके द्वारा उपरोक्त अवैध कार्य करने से रोकने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया।

अन्त में निवेदन किया कि ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 3 तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 4316/152 रकबा 1.1973 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय जिसके खाता संख्या 673 है, में स्थित वादी के 1/10 वॉ हिस्से की भूमि का जरिये मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग से उपरोक्त हिस्से के अनुसार खातेदारी दर्ज की जावे व राजस्व नक्शे में उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार तरमीम की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी के हिस्से अनुसार बंट में आयी खातेदारी भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न ही अन्य किसी से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का दावा दिनांक 06.04.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 3 तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में स्थित भूमि खसरा सं. 4316/152 रकबा 1.1973 हैक्टेयर का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादी के 1/10 वॉ हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 3 तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 4316/152 रकबा 0.1157 हैक्टेयर वादी मिश्रीलाल पुत्र श्री शिवदान जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी, तथा खसरा नम्बर 4316/152 रकबा 1.0412 हैक्टेयर प्रतिवादीगण पन्नाराम पुत्र घीसाराम 151/440 वॉ हिस्सा, बीजाराम पुत्र घीसाराम 151/440 वॉ हिस्सा, लांबूराम पुत्र घीसाराम 69/220 हिस्सा जातियान सीरवी सा. देह खातेदार के बट मे रखी गयी, तथा भूमि खसरा नम्बर 4316/152 रकबा 0.0404 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हिस्सा जमाबन्दी बदस्तूर बंट

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेंश नही की। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने व नक्शा ट्रेस में बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक़्शा के अनुसार तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6/5/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

ब इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
मिश्रीलाल पुत्र श्री शिवदान जाति सीरवी निवासी बेरा टेवकी पतालियावास रोड़ बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा		1. बीजाराम पुत्र श्री घीसाराम जाति सीरवी निवासी बेरा पंवारों की ढीमड़ी हर्ष रोड़ बिलाड़ां, तहसील बिलाड़ा 2. लाबूराम पुत्र श्री घीसाराम जाति सीरवी निवासी बेरा केरिया बीजासनी रोड़ बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. 3. पन्नाराम पुत्र श्री घीसाराम जाति सीरवी निवासी बेरा पंवारों की ढीमड़ी हर्ष रोड़ बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी)बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 194 / 2021

निर्णय दिनांक :– 6/9/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार उपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 3 तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 4316 / 152 रकबा 0.1157 हैक्टेयर वादी मिश्रीलाल पुत्र श्री शिवदान जाति सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी, तथा खसरा नम्बर 4316 / 152 रकबा 1.0412 हैक्टेयर प्रतिवादीगण पन्नाराम पुत्र घीसाराम 151 / 440 वॉ हिस्सा, बीजाराम पुत्र घीसाराम 151 / 440 वॉ हिस्सा, लाबूराम पुत्र घीसाराम 69 / 220 हिस्सा जातियान सीरवी सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी, तथा भूमि खसरा नम्बर 4316 / 152 रकबा 0.0404 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हिस्सा जमाबन्दी बदस्तूर बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पुक्षकार ने कोई आपति पेश नही की। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने व नक्शा ट्रेस में बंटवाड़ा प्रस्ताव

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

मय नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह –सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 6/9/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा